कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल (म.प्र.) 462004; हेल्प-लाइन नंबर: 0755-2551698, 0755-2554763

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-15

स्नातक एवं स्नातकोत्तर (प्रथम चरण) : शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों हेतु निर्देश

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियान्तर्गत स्नातक प्रथम-चरण के सीट-आवंटन-पत्र दिनांक 28 जून 2014 को तथा स्नातकोत्तर प्रथम-चरण के सीट-आवंटन-पत्र दिनांक 30जून 2014को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल **www.epravesh.nic.in** पर जारी किये जा रहें हैं | इस चरण में आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि **स्नातक** एवं **स्नातकोत्तर** के लिए क्रमशः **05 जुलाई** एवं **07 जुलाई 2013** है | प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत 25 अप्रैल, 2014 को उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी किये जा चुके हैं | महाविद्यालयों द्वारा इस चरण में की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है :

1. अशासकीय महाविद्यालयों को अपने Administrative पासवर्ड द्वारा विभागीय पोर्टल **www.epravesh.nic.in** पर अपना USERNAME एवं PASSWORD डालकर LOGIN करना होगा | इसके पश्चात Assign Authorities के माध्यम से Executive/Admission-Officer नियुक्त करते हुए Login_Id एवं Password पोर्टल पर प्राप्त करें | Executive/ Admission -Officer के पासवर्ड से पुनः LOGIN करते हुए प्रवेश कार्य सम्पादित करें |
2. महाविद्यालयों को पोर्टल के होम-पेज पर Main-Menu के माध्यम से Admission Reporting Module उपलब्ध होगा | इसकी सहायता से महाविद्यालय उनके यहाँ आवंटित आवेदकों को प्रवेश दे सकेंगे |
3. सीट आवंटन प्राप्त आवेदक आवंटित महाविद्यालय में अपना सीट-आवंटन-पत्र (**Seat-Allotment-Letter**) लेकर आवेगा| महाविद्यालय को आवेदक से सीट-आवंटन-पत्र के साथ सत्यापित Application-Form भी लेना होगा |
4. महाविद्यालय आवेदक से पंजीयन राशि जमा करने का प्रमाण लेकर ही प्रवेश देना सुनिश्चित करें |
5. आवेदक के सीट-आवंटन-पत्र पर महाविद्यालय का नाम, आवंटित पाठ्यक्रम एवं विषय-समूह, अहर्ताकारी परीक्षा का प्रतिशत, अधिभार हेतु मान्य प्रतिशत, वरीयता हेतु प्रभावी प्रतिशत, आवंटित श्रेणी एवं संवर्ग, मेरिट-क्रमांक एवं आवंटित सीट का विवरण दर्ज है| **आवंटित महाविद्यालय द्वारा आवेदक के दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जाना है** | सत्यापन के दौरान मेरिट अंकों की गणना एवं पूर्व सत्यापित दस्तावेजों में किसी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर आवेदक को प्रवेश न देवें |
6. महाविद्यालय आवेदक की आवंटित पाठ्यक्रम में पात्रता का परीक्षण कर ही प्रवेश देवें | पात्रता संबंधी संशय की स्थिति अथवा आवश्यक होने पर आवेदक को विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण-पत्र (Elligibility-Certificate) प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करें |
7. आवेदक द्वारा नियमानुसार निम्न दस्तावेज आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत किये जाने हैं :
   अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची, मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी), अधिभार संबंधी प्रमाण-पत्र, श्रेणी एवं संवर्ग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूल-निवासी प्रमाण-पत्र, पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण-पत्र |
   इन प्रमाण-पत्रों में से यदि आवेदक के पास अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंकसूची, माइग्रेशन/टी.सी. एवं मूल-निवासी प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हो तो भी उसे वचन-पत्र के आधार पर प्रावधिक प्रवेश दिया जाना है | परन्तु निर्धारित तिथि **30 जुलाई 2014** तक मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा संबंधित आवेदक का प्रवेश निरस्त कर इसकी जानकारी केन्द्रीय प्रवेश प्रकोष्ठ को दी जावे |

8. महाविद्यालय को स्नातक हेतु दिनांक 05 जुलाई 2014 तक एवं स्नातकोत्तर हेतु दिनांक 07 जुलाई 2014 तक सीट आवंटन प्राप्त आवेदकों से प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा | प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरान्त ही ऑनलाइन-प्रवेश-अभिस्वीकृति-पत्रक आवेदक को दिया जावे | यह प्रक्रिया **Online Admission Reporting Module** द्वारा की जावेगी |

9. आवेदक को **ऑनलाइन-प्रवेश-अभिस्वीकृति-पत्रक** (Online-Admission-Acknowledement-Slip) प्रदान करने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी | प्रवेश-अभिस्वीकृति-पत्रक प्रिंट करने के साथ ही महाविद्यालय में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित हो जावेगा एवं अगले चरण के लिए रिक्त स्थानों की गणना भी इसी पर आधारित होगी, अत: आवेदक को Admission-Acknowledement-Slip अवश्य देवें |

10. **निर्धारित समय-सीमा में प्रवेशित आवेदकों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग न करने अथवा त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था-प्रमुख/प्राचार्य की होगी |**

11. **आवेदक की सहमति के विरुद्ध ऑनलाइन प्रवेश रिपोर्टिंग करने की स्थिति में सम्बंधित संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी |**

12. बी.ए. पाठयक्रम में सीट प्राप्त आवेदक दिनांक **02 जुलाई से 03 जुलाई 2014 अपरान्ह 01:00 बजे** तक महाविद्यालय में उपस्थित होंगे | महाविद्यालयों के लिए बी.ए. पाठयक्रम में **विषय-समूह आवंटन प्रक्रिया को दर्शाते हुए आवश्यक निर्देश** पृथक से विभाग की वेबसाइट पर जारी किये जा चुके हैं | निर्देश में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विकल्प-प्रपत्र (Option-Form) भी उपलब्ध है, आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है |

13. स्नातक प्रथम चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं चाहनें अथवा आवंटन अप्राप्त आवेदकों के लिए द्वितीय चरण में 07 जुलाई से 09 जुलाई 2014 तक Rechoice Filling की सुविधा उपलब्ध है |

14. स्नातकोत्तर प्रथम चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं चाहनें अथवा आवंटन अप्राप्त आवेदकों के लिए द्वितीय चरण में 08 जुलाई से 10 जुलाई 2014 तक Rechoice Filling की सुविधा उपलब्ध है |

15. स्नातकोत्तर उपाधि धारक आवेदक को स्नातकोत्तर के अन्य विषय में केवल CLC चरण में उसी स्थिति में ही प्रवेश दिया जावेगा जबकि उस विषय में स्थान रिक्त हों एवं आवेदक अहर्ताएं पूरी करता हो.

16. स्नातक प्रथम-चरण में प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि **05 जुलाई, 2014** एवं ऑनलाइन प्रवेश रिपोर्टिंग करने की तिथि **05 जुलाई 2013** रात्रि 11:00 बजे निर्धारित है |

17. स्नातकोत्तर प्रथम-चरण में प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि **07 जुलाई, 2014** एवं ऑनलाइन प्रवेश रिपोर्टिंग करने की तिथि **07 जुलाई 2013** रात्रि 11:00 बजे निर्धारित है |

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

1.7.14

(डॉ० के०एम० जैन)
संयुक्त संचालक